

परियोजना का नाम :- चौखुटिया-मासी मोटर मार्ग के किमी. 56 से
ढोन रीठाचौरा मोटर मार्ग।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित चौखुटिया-मासी मोटर मार्ग के किमी. 56 से ढोन रीठाचौरा मोटर मार्ग के परियोजना के निर्माण हेतु 1.475 हे. वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं. 11-9/98-एफ.सी. दिनांक 5.2.2013 के द्वारा रेखाकार (Linner) प्रयोजनों यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre-Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

Vmm
26.09/16

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

Photocopy attached
[Signature]

Engineer
P.W.D.